अनुदान संख्या 5 – रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
GRANT No. 5 - DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	263,65,00	370,18,00	365,12,16	-5,05,84
पूरक	Supplementary	106,53,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,09,13

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹505.84 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹10653.00 लाख के पूरक अनुदान का 5 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से अधिक थीं। अभ्यर्पित राशि (₹509.13 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹505.84 lakhs) constituted 5 percent of the supplementary grants of ₹10653.00 lakhs obtained in March, 2020 and more than 1 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹509.13 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	2200.00	..	..	..
पु.	R.	-2200.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	22207.00			
पू.	S.	10653.00	34769.62	34769.61	-0.01
पु.	R.	1909.62			

(I) ₹2200.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "पेट्रो–रसायन उद्योग (अन्य व्यय)" – के अंतर्गत दो शीर्षों के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :–

(का) "केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी तथा प्रोद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी)" – ₹700.00 लाख; और

(खा) "असम गैस क्रेकर कॉम्पलेक्स को सहायिकी" – ₹1500.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "रसायन तथा फार्मास्यूटिकल उद्योग – रसायन और कीटनाशक – भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का प्रसंस्करण) अधिनियम, 1985" के अंतर्गत – ₹2142.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹653.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2795.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹434.14 लाख की सीमा तक बड़ी संख्या में दावेदारों द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट न्यायालयों में रिपोर्ट न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2350.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसाकि मुख्य शीर्ष "2852" – "पेट्रो – रसायन उद्योग – अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत मार्च, 2020 में ₹10653.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(का) "केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹850.00 लाख।

(खा) "असम गैस क्रेकर कांप्लेक्स को सहायिकी" – ₹1500.00 लाख।

(I) Provision of ₹2200.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads under Major Head "2552" - "Petro-chemical Industries (Other Expenditure)" - under the following heads:-

(A) "Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET)" - ₹700.00 lakhs; and

(B) "Subsidy to Assam Gas Cracker Complex" - ₹1500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2852" - "Chemical and Pharmaceutical Industries - Chemicals and Pesticides - Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985" - the original provision of ₹2142.00 lakhs was augmented to ₹2795.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹653.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹434.14 lakhs - due to large number of claimants not reporting to the designated courts for receiving the ex-gratia payments and non-settlement of claims.

2. The above savings were partly (₹2350.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹10653.00 lakhs in March, 2020 under Major Head "2852" - "Petro-Chemical Industries - Other Expenditure" - under the following heads: -

(A) "Central Institute of Plastic Engineering & Technology" - ₹850.00 lakhs.

(B) "Subsidy to Assam Gas Cracker Complex" - ₹1500.00 lakhs.